



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 252 राँची, रविवार,

04 अप्रैल, 2021 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

1 अप्रैल, 2021/11 चैत्र, 1943 (शक)

संख्या- 434/पूर्व अनु०-1/झार-वि.स./2019 (2) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 की अपनी समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० 434/पूर्व अनु०-1/झार-वि.स./2019 (2) में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में नीचे दिए गए स्तंभ (1) में उल्लिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रविष्टियां और जोड़ी जायेंगी:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
13-मधुपुर	4. अंचल अधिकारी, मधुपुर

2. उक्त निर्वाचन क्षेत्र में सहायक निर्वाची अधिकारी, के रूप में उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतों की गणना सफलता पूर्वक सम्पन्न होने पर प्रभावी नहीं रहेगी।

आदेश से,

अरविन्द आनन्द,
सचिव

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION**1st April, 2021/11 Chaitra, 1943(Saka)**

No. 434/ES-I/JKD-LA/2019(2) :- In exercise of the power conferred by Sub-Section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby makes the following amendments in its Notification No. 434/ES-I/JKD-LA/2019(2), dated 15th October, 2019, as amended from time to time, namely :

In column (2) of the Table appended to the said notification, against item the Assembly Constituency mentioned below in column (1), after the existing entries, the following entry shall be added :-

TABLE

Number and name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
13-Madhupur	4. Circle Officer, Madhupur

2. The appointment of above officer as Assistant Returning Officer in the said Assembly Constituency shall cease to be effective on successful completion of counting of votes in the constituency concerned.

By order,

ARVIND ANAND,
SECRETARY.
